न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

पीठासीन अधिकारी : नन्दकिशोर राजोरा, आर0ए0एस0

राजस्व अपील संख्या 78/2015

अपीलाण्ट –

1. मोताराम पुत्र जगाजी जाति सिरवी निवासी लालराई तहसील बाली

बनाम

रेस्पोडेन्ट्स –

1. राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार बाली
2. बाबुलाल पुत्र समाराम जाति जणवा चौधरी निवासी लालराई तहसील बाली

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

उपस्थिति –

अपीलाण्ट की ओर से श्री खुमाराम परिहार, अधिवक्ता

रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की ओर से सरकारी पैरोकार

– निर्णय –

दिनांक : 06/1/2023

अपीलाण्ट द्वारा उपखण्ड अधिकारी, बाली द्वारा राजस्व वाद संख्या 12/2012 में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 02.06.2015 के विरूद्ध अपील प्रस्तुत की। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोडेन्ट्स को जरिये सम्मन तलब किया एवं अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड तलब किया जाकर उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस समायत की गई।

अपीलाण्ट की ओर से उनके अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस में अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि जैर अपील विवादित आराजी ग्राम लालराई तहसील बाली के गत खसरा नम्बर 98, [redacted], 100, 101, 102 व 103 से नये खसरा नम्बर 333 रकबा 2.63 हैक्टेयर बने है। उक्त गत खसरा नम्बर 103 से तहरीर हुए नये खसरा नम्बर 333 कि किस्म वर्तमान राजस्व रेकर्ड में मार्ग एवं पगदण्डियां दर्ज है, जबकि गत खसरा नम्बर 103 कि किस्म बारानी तृतीय थी, जो शासन द्वारा लुम्बा पुत्र देवा राईका को आवंटन की गई थी। उक्त भूमि को राजस्व रेकर्ड में गलत रूप से पगदण्डियां एवं रास्ता दर्ज किये जाने के कारण आवंटी लूम्बा द्वारा तहसीलदार बाली के समक्ष आपत्ति दर्ज

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

करवाई, जिस पर तहसीलदार बाली द्वारा दिनांक 12.04.1993 को उक्त भूमि पुनः आवंटी के नाम अमल दरामद करने के आदेश पारित किए एवं उक्त भूमि खसरा नम्बर 333/1 रकबा 0.72 हैक्टेयर आवंटी लूम्बा के नाम से राजस्व रेकर्ड में दर्ज की गई, जिसकी किस्म बारानी सोयम की गई। इसके पश्चात आवंटी द्वारा उक्त भूमि अपीलाण्ट की पत्नी को विक्रय की। दिनांक 30.11.2005 को रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा अपीलाण्ट को नोटिस जारी कर खसरा नम्बर 333 रकबा 0.60 हैक्टेयर भूमि से अतिक्रमण हटवाने का निवेदन किया। जिस पर अपीलाण्ट द्वरा प्रत्युत्तर प्रस्तुत कर जाहिर किया कि उक्त भूमि के गत खसरा नम्बर की किस्म बारानी तृतीय थी, इस कारण उक्त भूमि गै0मु0 रास्ते की नहीं हैं। उक्त भूमि पर अपीलाण्ट का लगातार एवं नियमित कब्जा काश्त है। इस कारण अपीलाण्ट को खातेदार घोषित कराने का अनुतोष चाहा, किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाण्ट के वाद को राजस्व लोक अदालत में अस्पष्ट निर्णय एवं डिक्री के जरिये खारिज़ कर दिया, जो विधि विरूद्ध हैं। अतः अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार की जावे एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित जैर अपील निर्णय एवं डिक्री को अपास्त करावें।

सरकारी पैरोकार ने बहस के प्रत्युत्तर में निवेदन किया कि प्रकरण में जैर अपील विवादित आराजी वर्तमान राजस्व रेकर्ड में राजकीय भूमि दर्ज हैं। अपीलाण्ट द्वारा उक्त भूमि पर अपना प्रतिकूल कब्जा होना बताते हुए खातेदारी घोषणा का अनुतोष चाहा है, जो विधि अनुसार देय नहीं हैं। इसके बावजूद भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उदार रूख अपनाते हुए अपीलाण्ट को अपना प्रकरण आवंटन नियमन सलाहकार समिति के समक्ष प्रस्तुत करने हेतु स्वतन्त्र रखा हैं। इसके बावजूद भी अपीलाण्ट द्वारा यह अपील प्रस्तुत की है, जो सारहीन होने से खारिज़ योग्य हैं।

हमने बहस पर मनन किया, पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अनुशीलन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि अपीलाण्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष जो वाद प्रस्तुत किया, उसका एकमात्र यह आधार रहा कि खसरा नम्बर 333 रकबा 0.66 हैक्टेयर भूमि पर अपीलाण्ट द्वारा स्वयं का पुराना कब्जा काश्त होना बताते हुए उक्त भूमि की खातेदारी घोषित कराने का अनुतोष प्रदान करवाया जाना। उक्त जैर अपील विवादित आराजी ग्राम लालराई के खसरा नम्बर 333 रकबा 2.63 हैक्टेयर किस्म गै0मु0 रास्ता के रूप में राजस्व रेकर्ड में गांव के मार्ग व पगडंडिया के रूप में अभिलिखित हैं। प्रथम दृष्टया उक्त भूमि पर यदि अपीलाण्ट काबिज भी है, तो वह कब्जा अनाधिकृत ही माना जायेगा तथा अनाधिकृत कब्जे के आधार पर खातेदारी घोषित किये जाने को विभिन्न अपर न्यायालयों सहित माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा भी विधि विरूद्ध माना हैं। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त प्रावधानों को दृष्टिगत रखते हुए जैर अपील निर्णय पारित किया है, जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती हैं।

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

परिणाम स्वरूप अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन एवं बलहीन होने से खारिज़ की जाती हैं। निर्णय की प्रतिलिपि के साथ अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड लौटाया जावे। बाद पालना पत्रावली फैसल में शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 06/1/2023 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(नन्द किशोर राजोसा)
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली